

**झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।**

अधिसूचना।

राँची, दिनांक— / / 2026 ई०।

संख्या— 07/हो०गा० (स्था०) — 08/2025—/ Cont. Case (Civil) No-696/2025 (Arising out of W.P.(S) No-7402/2023) निहारिका रानी बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित न्यायादेश के अनुपालनार्थ झारखण्ड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा-2021 (विज्ञापन सं०-01/2021) के तहत कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-6659 दिनांक-17.11.2025 द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में निम्नांकित अभ्यर्थी को झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी (राजपत्रित) सेवा अंतर्गत मूल कोटि के वेतनमान (PB-II, रू० 9,300-34,800 /- ग्रेड पे-5400, सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान पे मेट्रिक्स लेबल-9) में इन्द्री वेतन पर एवं सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमान्य अन्य भत्तों के साथ परीक्ष्यमान जिला समादेष्टा के रूप में झारखण्ड पुलिस अकादमी, हजारीबाग में एक वर्षीय आधारभूत प्रशिक्षण सहित अन्य सभी प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु [विभागीय अधिसूचना संख्या-3848 दिनांक-09.08.2016 द्वारा अधिसूचित गृह रक्षक (राजपत्रित) सेवा नियमावली, 2016 के अध्याय-6, कंडिका-23 के आलोक में] योगदान की तिथि से औपबंधिक रूप से नियुक्त करते हुए पदस्थापित किया जाता है :-

क्रम सं०	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	जन्म तिथि	स्थायी पता
I	II	III	IV	V
01	52096498	Niharika Rani	13.02.2000	Vill- Khairbani, PO- Khairbani, P.S- Masaliya, District- Dumka, Pin- 814146.

- (क) अभ्यर्थी की परीक्ष्यमान अवधि नियुक्ति की तिथि से 02 वर्षों की होगी तथा परीक्ष्यमान अवधि में संतोषप्रद सेवा नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकती है या परीक्ष्यमान अवधि को बढ़ाया जा सकता है।
- (ख) इस अधिसूचना की क्रम संख्या वरीयता सूची/मेधा क्रमांक नहीं है।
- (ग) नव नियुक्त पदाधिकारी को झारखण्ड पुलिस अकादमी, हजारीबाग में दिनांक-27.01.2026 के पूर्वाह्न में अनिवार्य रूप से योगदान देना है।
- (घ) समर्पित प्रमाण-पत्रों में भविष्य में जाँचोपरान्त किसी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर इनकी नियुक्ति नियमानुसार रद्द की जा सकती है।
- (ङ) यदि प्रमाण-पत्रों में आंशिक विसंगतियाँ हैं, उस स्थिति में इनकी नियुक्ति इस शर्त के साथ की जाती है कि विसंगतियों का संतोषजनक निराकरण एक माह में नहीं होने पर इनकी नियुक्ति रद्द की जा सकती है।
- (च) योगदान देते समय कार्मिक विभाग की संकल्प सं०-1919, दिनांक 28.01.1976 द्वारा दहेज न लेने/देने संबंधी घोषणा-पत्र एवं अधिसूचना सं०-5437, दिनांक 09.09.2010 तथा अधिसूचना सं०-9519, दिनांक 22.09.2014 के आलोक में चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा विहित प्रपत्र में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।
- (छ) योगदान के समय पूर्व नियोक्ता द्वारा निर्गत विरमन आदेश (Relieving Order) की मूल प्रति/पूर्व सेवा से त्यागपत्र की प्रति अनिवार्य रूप से समर्पित करना होगा।
- (ज) योगदान देते समय असैनिक शल्य चिकित्सा-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(झ) नियुक्ति विभाग, राज्य सरकार के पत्रांक-5817, दिनांक-03.05.1963 के आलोक में चरित्र प्रतिवेदन एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल पाये जाने पर एक महीने की सूचना पर सेवा समाप्त की जा सकती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(ओम प्रकाश तिवारी)

सरकार के संयुक्त सचिव।

झापांक-07/होंगा० (स्था०) - 08/2025-...../राँची,दिनांक- / /2026 ई०।

प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची /उप-सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

झापांक-07/होंगा० (स्था०) -08/2025-...../राँची,दिनांक- / /2026 ई०।

प्रतिलिपि- उप सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को उनके विषयगत पत्रांक-6659 दिनांक-17.11.2025 के आलोक में/संयुक्त निदेशक, झारखण्ड पुलिस अकादमी, हजारीबाग तथा असैनिक शल्य चिकित्सा-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, हजारीबाग को अधिसूचना एवं संगत अभिलेखों की प्रति के साथ सूचना एवं निम्नवत् आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(1) संयुक्त निदेशक, झारखण्ड पुलिस अकादमी, हजारीबाग से अनुरोध है कि नवनियुक्त जिला समादेष्टा का HRMS एवं iGOT Karmyogi Bharat में निबंधन सहित कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड का परिपत्र सं०-4913, दिनांक-19.03.2025 (छायाप्रति संलग्न) का अनुपालन कराते हुए नवनियुक्त प्रशिक्षु को i-GOT के माध्यम से अनिवार्य पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण पूर्ण कराना सुनिश्चित कराते हुए इनके योगदान हेतु निर्धारित तिथि से इनकी कोटि के समकक्ष राज्य सरकार द्वारा अद्यतन निर्धारित सभी प्रशिक्षण प्रदान करने की समुचित व्यवस्था करते हुए उनके शैक्षणिक/आवासीय आदि प्रमाण-पत्रों की आवश्यक जाँच कर संतुष्ट होते हुए नवनियुक्त पदाधिकारी का वेतन भुगतान सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।

(2) असैनिक शल्य चिकित्सा-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, हजारीबाग से अनुरोध है कि विभागीय अधिसूचना संख्या-3848 दिनांक-09.08.2016 द्वारा अधिसूचित गृह रक्षक (राजपत्रित) सेवा नियमावली, 2016 में निर्धारित शारीरिक एवं चिकित्सीय मापदण्ड के अनुसार जाँच करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

झापांक-07/होंगा० (स्था०)-08/2025-.....227/राँची,दिनांक-15/01/2026 ई०।

प्रतिलिपि- माननीय राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव/संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/महानिदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची/महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची/महानिदेशक- सह- महासमादेष्टा, झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा, झारखण्ड, राँची/अपर पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण), झारखण्ड, राँची/संयुक्त निदेशक, झारखण्ड पुलिस अकादमी, हजारीबाग/सुश्री निहारिका रानी, पिता-श्री विजय कुमार गुप्ता, Vill- Khairbani, PO- Khairbani, P.S- Masaliya, District- Dumka, Pin- 814146. Email ID: raniniharika2000@gmail.com/नोडल पदाधिकारी, विभागीय पोर्टल, नोडल पदाधिकारी, एच०आर०एम०एस०/गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची एवं संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.01.26

सरकार के संयुक्त सचिव।